न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौड़गढ़

(पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाडियाँआर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 140/2023 प्रार्थना पत्र   दर्ज तिथि : 21.07.2023

श्री बालचन्द मोहनपुरिया पिता दयाराम जाति रेगर आयु 68 वर्ष निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा, जिला–चित्तौड़गढ़ राज.

.................प्रार्थी

बनाम

1. श्री अब्दुल गनी जई पिता अब्दुल रउफ जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. श्री अब्दुल करीम जई पिता अब्दुल रउफ जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी निम्बाहेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौड़गढ़ राज0।
3. श्री रमेश आहुजा पिता किशनचन्द जाति आहुजा सिन्धी आयु 67 वर्ष निवासी सिन्धी कॉलोनी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौड़गढ़ राज0।
4. श्री महेश आहुजा पिता गोवर्धनदास आहुजा सिन्धी निवासी सिन्धी कॉलोनी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौड़गढ़ राज0।
5. श्री रामचन्द्र पिता मथुरालाल जाति धाकड आयु 45 वर्ष निवासी नर्बदा नगर निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौड़गढ़ राज0।
6. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, निम्बाहेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा जिला, चित्तौड़गढ़, राज0।

..............विपक्षीगण

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ताः–श्री शैलेष आहुजा
विपक्षीगण नम्बर 6 :– पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

–ःनिर्णयः–

दिनांक : 16.08.2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:16:12 IST
Reason: SelfAttested

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते-निर्णय हेतु पेश हुई [illegible] प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि मौजा निम्बाहेड़ा [illegible] के साबिक [illegible] नम्बर 734 मी. रकबा 4 बिस्वा, आराजी नम्बर 736/[illegible]/734 रकबा 15 बिस्वा [illegible] किता 2 कुल रकबा 19 बिस्वा बाबत प्रार्थी वादी बालचन्द्र मोहनपुरिया द्वारा एक वाद प्रतिवादीगण विपक्षीगण एक एवं दो तथा पूर्व खातेदार इकबाल अहमद, श्रीमती बीबी एवं श्रीमति खुददों के विरूद्ध पेश किया गया था। जिसके प्रकरण संख्या 134/2003

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

राजस्व वाद होकर दिनांक 27.09.2007 को अन्तिम निर्णय हुआ था। उक्त पुराने प्रकरण अनुसार केवल राजस्व रेकार्ड में बंटवाडा हल्का पटवारी द्वारा अमल दरामद किया गया था जबकि राजस्व नक्शा ट्रेस में कोई अंकन नहीं किया गया था। डिक्री की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई। यह कि पूर्व खातेदारों यानि इकबाल अहमद पिता मोहम्मद मुसलमान, श्रीमति बीबी पुत्री मोहम्मद मुसलमान एवं श्रीमति खुददो पुत्री मोहम्मद मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा द्वारा उनका हक हिस्सा विपक्षी तीन ता पांच को को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान कर दिये जाने के कारण प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

2. यह कि प्रार्थी के खातेदारी एंव कब्जे की आराजियात का आवासीय रूपान्तरण कराये जाने के बाद सरकारी खाता संख्या एक में दर्ज रेकार्ड होकर राज्यहित में नगरपालिका, निम्बाहेडा राज्य हित में दर्ज रेकार्ड है। मौजा निम्बाहेड़ा के नवीन खाता संख्या 13 की नवीन अराजी नम्बर 1010 रकबा 0.16 हैक्टेयर स्थित है जिसमें विपक्षी एक अब्दुल करीम जई के 1/2 तथा विपक्षी दो अब्दुल गनी जई के 1/2 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। इसी प्रकार मौजा निम्बाहेड़ा के खाता संख्या 62 की आराजी नम्बर 1009मीन रकबा 0.02 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1011 रकबा 0.04 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2577/1011 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.12 हैक्टेयर में विपक्षी संख्या तीन महेश आहुजा का 1/2, विपक्षी चार रमेश के 1/4 तथा रामचन्द्र के 1/4 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। मौजा निम्बाहेडा के खाता संख्या 839 की आराजी नम्बर 2578/1011 रकबा 0.06 हैक्टेयर में विपक्षी संख्या तीन महेश आहुजा का 1/2 विपक्षी चार रमेश के 1/4 तथा रामचन्द्र के 1/4 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी के नाम 2576/1009 रकबा 0.06 हैक्टेयर दर्ज रेकार्ड थी जिसको रूपान्तरण कराये जाने के बाद राज्यहित में दर्ज किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ उपरोक्त नकल जमाबंदिया प्रस्तुत की गई।

3. यह कि साबिक आराजी नम्बर अनुसार पूर्व में जब माननीय न्यायालय के आदेशानुसार बंटवाडा कर दिया गया लेकिन फर्द विभाजन नक्शा अनुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में अंकन नहीं किया गया था। जिससे पेमाईश के बाद नवीन आराजी नम्बर 1010 रकबा 0.16 हैक्टेयर को सभी आराजियात के पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर तक नक्शा ट्रेस में अंकन कर अलग नम्बर नवीन दर्ज कर दिया गया। जिसको पुनः मौका स्थिति अनुसार सही एवं दुरूस्त कराये जाना न्यायोचित है। इस आराजी के दक्षिणी भाग पर विपक्षी तीन ता पांच का कब्जा उसके बाद मध्य भाग पर प्रार्थी बालचन्द के पास जो आवासीय रूपान्तरण होने के बाद राज्यहित में नगरपालिका, निम्बाहेडा के नाम दर्ज है तथा आराजी नम्बर के उत्तरी दिशा का भाग विपक्षी एक व दो के कब्जे तथा उपयोग उपभेग में मौके पर स्थित है। [illegible] अनुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में अंकित किया जाना न्यायोचित है। इसी प्रकार वर्तमान [illegible] स्थिति अनुसार आराजी नम्बर 2576/1009, 1009, 1011, 2578/1011 सभी नम्बरान बाबत् जो हल्का पटवारी अनुसार पर्चा मौका तैयार किया [illegible] उस अनुसार सभी आराजी नम्बरान में मौके की स्थिति अनुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में शुद्धि किया जाना न्यायोचित है। यह कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में जो प्रार्थना पत्र आराजियात के राजस्व रेकार्ड के नक्शा ट्रेस में संशोधन बाबत पेश किया गया उसमें विपक्षीगण भी प्रभावित पक्षकार होने से उनको इस धारा 136 के प्रार्थना पत्र में विपक्षी पक्षकार बनाया जा रहा है। इसलिए मूल प्रार्थना पत्र की चरण संख्या तीन के बाद चरण संख्या चार से लगायत अनत तक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:16:12 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा

उक्त प्रार्थना पत्र में संशोधन कराये जाने की अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के अन्त में प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार संशोधन स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी द्वारा चाहा गया एवं मौका स्थिति अनुसार राजस्व रेकार्ड के नक्शे में वर्तमान स्थिति अनुसार शुद्धि कराये का आदेश तहसीलदार, निम्बाहेड़ा एवं हल्का पटवारी को प्रदान करने का निवेदन किया गया।

4. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की गई जो कि शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली पर प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 134/2003 राजस्व वाद निर्णय दिनांक 27.09.2007 में दिये गये अन्तिम निर्णय अनुसार हाल राजस्व रिकॉर्ड के नक्शे में आवश्यक तरमीम करवाये जाने का निवेदन किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में अंकित किया गया हैं कि पटवार हल्का निम्बाहेडा की जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम निम्बाहेड़ा में नामान्तरण संख्या 3848 दिनांक 04/06/2008 निर्णय होकर ग्राम निम्बाहेड़ा की जमाबन्दी रोटेशन वर्ष 2058–2061 के खाता संख्या 69 में अमल दरामद हुआ। खाता सख्या 69 में आराजी नम्बर 734 रकबा 04 बिस्वा , आराजी नम्बर 736/2039/734 रकबा 15 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 19 बिस्वा खातेदार श्री ईकबाल अहमद पिता मोहम्मद,बीबी,बालचन्द पिता मोहनपुरिया, खुद्दो पिता मोहम्मद मुसलमान सा.देह के नाम दर्ज रिकार्ड होकर नामान्तरकरण अमल दरामद अनुसार पुरा खाता निम्नानुसार दर्ज रिकार्ड हुआ :

क्र.स.	आराजी नम्बर	रकबा	लगान	खातेदार
1	3507/734 शा.न. 736/2039/734	5 बिस्वा	1.84	श्री बालचन्द पिता दयाराम मोहनपुरिया सा.देह खातेदार
2	3508/734 शा.न. 736/2039/734	4 बिस्वा	1.84	श्रीमती बीबी पुत्री मोहम्मद मुसलमान सा.देह खातेदार
3	3509/734 शा.न. 736/2039/734	5 बिस्वा	1.83	श्री खुद्दो पिता मोहम्मद मुसलमान सा.देह खातेदार
4	734 मीन शा.न. 736/2039/734	5 बिस्वा	1.83	श्री ईकबाल अहमद पिता मोहम्मद मुसलमान सा.देह

नक्शा पटवार परत फटा होने से प्रस्तावित फर्द बटवारा मे नक्शा प्रस्तावित किया गया था। कार्यवाही के दौरान नया भु प्रबन्ध लागु हो जाने से उक्त निर्णय अनुसार पालना नही होकर पुनः खाता आधार वर्ष जमाबन्दी रोटेशन वर्ष 2067–2070 के खाता संख्या 49 के आराजी नम्बर 1009 रकबा 0.05 हैक[illegible]बिक आराजी नम्बर 734 रकबा 04 बिस्वा) आराजी नम्बर 10[illegible] (साबिक आराजी नम्बर 736/2039/734 रकबा 15 बिस्वा) किता [illegible] रकबा 0.24 हैक्टेयर खातेदार श्री ईकबाल अहमद पिता मोहम्मद, बीबी, बालचन्द पिता दयाराम मोहनपुरिया, खुद्दो पिता मोहम्मद मुसलमान सा.देह खातेदार के नाम दर्ज हुआ। जो बाद भुप्रबन्ध नक्शे में दर्ज हुआ। आराजियात का मिलान क्षेत्रफल निम्नानुसार है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:16:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

हाल		साबिक	
आराजी नम्बर	रकबा हैक्टेयर	आराजी नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा
1009	0.05	734	0—04
1010	0.16	2261 / 736 / 2039 / 734	0—13
1011	0.19	736 / 203 / 734	0—15
1012	0.09	735	0—07
995	0.49	721	1—19

बाद भू— प्रबन्ध आधार वर्ष जमाबन्दी संवत्2067—2070 के खाता संख्या 49 में नामान्तरण संख्या 3848 / 04.06.2008 का अमल दरामद निम्नानुसार किया गया —

क्र. स.	आराजी नम्बर	रकबा	लगान	खातेदार
1	2576 / 1009 शा.न. 1011	0.06	2.52	श्री बालचन्द पिता दयाराम मोहनपुरिया सा.देह खातेदार
2	2577 / 1009 शा.न. 1011	0.06	2.52	श्रीमती बीबी पुत्री मोहम्मद मुसलमान सा.देह खातेदार
3	2578 / 1009 शा.न. 1011	0.06	2.52	श्री खुद्दो पिता मोहम्मद मुसलमान सा.देह खातेदार
4	1009 मीन शा.न. 1011	0.06	2.52	श्री ईकबाल अहमद पिता मोहम्मद मुसलमान सा.देह

जमाबन्दी रोटेशन वर्ष 2067—2070, 2068—2071 व 2072—2075 मे उक्त आराजियात में ना.सं. 4047 / 29.07.2009, 4577 / 07.07.2011, शुद्धी पत्र क्रमाक 1 दिनांक 03.02.2020, ना.स. 919 / 06.12.2012, 1288 / 29.12.2020, 1316 / 19.02.2021, 1284 / 29.12.2020 दायर होकर निर्णित हो जाने से जमाबन्दी रोटेशन वर्ष 2077—2080 के खाता संख्या 917 नगरपालिका निम्बाहेडा राज्य हित (बालचन्द मोहनपुरिया) आराजी नम्बर 2576 / 1009 रकबा 0.06, खाता संख्या 62 आराजी नम्बर 1009 मीन रकबा 0.02, आराजी नम्बर 1011 रकबा 0.04, आराजी नम्बर 2577 / 1011 रकबा 0.06 कुल किता 03 रकबा 0.12 हैक्टेयर श्री महेश पुत्र गोवर्धन आहुजा 1 / 2 रमेश पुत्र किशनचन्द आहुजा 1 / 4 जाति सिन्धी रामचन्द्र पिता मथुरालाल धाकड 1 / 4 सा. निम्बाहेडा खातेदार, खाता संख्या 839 आराजी नम्बर 2578 / 1011 रकबा 0.06 हैक्टेयर श्री महेश पुत्र गोवर्धन आहुजा 1 / 2 रमेश पुत्र किशनचन्द आहुजा 1 / 4 रामचन्द्र पिता मथुरालाल धाकड 1 / 4 सा. निम्बाहेडा तथा खाता संख्या [illegible] आराजी नम्बर 1010 रकबा 0.16 हैक्टेयर श्री अब्दुलकरीम जई पिता अब्दुलरउफ 1/2 अब्दुलगनी जई पिता अब्दुलरउफ 1 / 2 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार के नाम रिकार्ड हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:16:12 IST
Reason: SelfAttested

माफिक डिक्री, गत नक्शे, एवं मौके अनुसार आराजी प्रस्तावित नक्शा शुद्धी गत भू—प्रबन्ध एंव मौके अनुसार होकर सभी खातेदार —

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

1. आराजी नम्बर 1010 रकबा 0.16 हैक्टेयर खाता संख्या 13 खातेदार श्री अब्दुलकरीम जई पिता अब्दुलरउफ 1/2 अब्दुलगनी जई पिता अब्दुलरउफ 1/2 जाति मुसलमान सा.देह के नाम दर्ज होकर प्रस्तावित नक्शा शुद्धि किये जाने बाबत सहमत होकर शपथ पत्र संलग्न है ।
2. आराजी नम्बर 2576/1009 रकबा 0.06 हैक्टेयर खाता संख्या 917 नगरपालिका निम्बाहेडा राज्य हित (बालचन्द मोहनपुरिया की संपरिवर्तित भुमि) के नाम दर्ज होकर प्रस्तावित नक्शा शुद्धि किये जाने बाबत सहमत होकर शपथ पत्र संलग्न है।
3. आराजी नम्बर 1009 मीन रकबा 0.02, आराजी नम्बर 1011 रकबा 0.04, आराजी नम्बर 2577/1011 रकबा 0.06 कुल किता 03 रकबा 0.12 हैक्टेयर खाता संख्या 62 खातेदार श्री महेश पुत्र गोवर्धन आहुजा 1/2 रमेश पुत्र किशनचन्द आहुजा 1/4 जाति सिन्धी रामचन्द्र पिता मथुरालाल धाकड 1/4 सा. निम्बाहेडा के नाम दर्ज होकर प्रस्तावित नक्शा शुद्धि किये जाने बाबत सहमत होकर शपथ पत्र संलग्न है ।
4. आराजी नम्बर 2578/1011 रकबा 0.06 हैक्टेयर खाता संख्या 839 श्री महेश पुत्र गोवर्धन आहुजा 1/2 रमेश पुत्र किशनचन्द आहुजा 1/4 रामचन्द्र पिता मथुरालाल धाकड 1/4 सा. निम्बाहेडा के नाम दर्ज होकर प्रस्तावित नक्शा शुद्धि किये जाने बाबत सहमत होकर शपथ पत्र संलग्न है ।

सारांशत : माफिक डिक्री, गत भू–प्रबन्ध नक्शे ,संबन्धित खातेदारो की सहमति, राजस्व रिकार्ड एवं मौके अनुसार संलग्न प्रस्तावित संशोधित नक्शा ट्रेस अनुसार शुद्धि किया जाना उचित है। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा ने मूल ही रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक निम्बाहेडा एवं पटवार हल्का निम्बाहेडा की न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की।

5. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> ***136. Correction of errors.*** *- The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:*
>
> *Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.*

6. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया [illegible] का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा [illegible]6 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:16:12 IST
Reason: SelfAttested

7. मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर मनन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर मनन किया गया। तहसीलदार, निम्बाहेडा की जांच रिपोर्ट में न्यायालय हाजा के पूर्व प्रकरण संख्या 134/2003 राजस्व वाद में दिये गये निर्णय अनुसार किया गया बंटवारा प्रस्ताव अनुसार साबिक

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा

रिकार्ड, मौका पर कब्जे अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में शुद्धि करने का प्रस्ताव मय नक्शा तरमीम के प्रस्तुत किया है। साथ ही तहसीलदार की जांच रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित नक्शा तरमीम से प्रार्थी एवं विपक्षीगण सभी एकमत होकर सहमत होने से मैं तहसीलदार, निम्बाहेड़ा द्वारा प्रस्तावित शुद्धि से संतुष्ट हूं। अतः साबिक नक्शे के मुकाबले नवीन राजस्व नक्शे में त्रुटि होना रिकार्ड एवं तहसीलदार, निम्बाहेडा की जांच रिपोर्ट से साबित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—::आदेश::—

प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 साबिक रिकॉर्ड एवं तहसीलदार, निम्बाहेड़ा की जांच रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। ग्राम निम्बाहेड़ा, पटवार हल्का, निम्बाहेड़ा—ए की आराजी नम्बर 995, 1009, 1010, 1011, 2576/1009, 2577/1011 एवं 2578/1011 की तहसीलदार, निम्बाहेडा द्वारा प्रस्तावित नक्शा तरमीम शुद्धि प्रस्ताव अनुसार नवीन राजस्व नक्शे में तरमीम करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा द्वारा प्रस्तावित तरमीम नक्शा आदेश का अनन्य अंग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा (राज.)

16/8/23

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:16:12 IST
Reason: SelfAttested